# व्यापार कर विभाग
# उत्तर प्रदेश

[लेखा पुस्तकों व अभिलेखों का रख रखाव]



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

# लेखा पुस्तकों व अभिलेखों का रख रखाव

1. प्रश्न वैट अधिनियम/वैट निमयावली के अन्तर्गत कौन-कौन से दस्तावेज/लेखे व्यापारियों द्वारा रखने हेतु निर्धारित किये गये हैं ?

   उत्तर वैट अधिनियम /वैट नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यापारियों द्वारा रखे जाने हेतु टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैशमेमो, परचेज इनवाइस, चालान या ट्रान्सफर इनवाइस, ट्रान्सपोर्ट मेमो, विभागीय फार्मों का रजिस्टर व आडिट रिपोर्ट निर्धारित किये गये हैं।

2. प्रश्न टैक्स इनवाइस क्या है और किसके द्वारा जारी की जायेगी?

   उत्तर टैक्स इनवाइस 5 प्रकार के क्रेताओं को जारी की जाएगी। इस पर कर अलग से चार्ज करना अनिवार्य होगा। यह पंजीकृत विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी की जाएगी।

3. प्रश्न ऐसे कौन पॉच प्रकार के क्रेता है जिनको बिक्री पर टैक्स इनवाइस जारी करना होगा ?

   उत्तर पंजीकृत व्यापारी, दूतावास का कोई अधिकारी /कर्मचारी, यूनाइटेड नेशन्स या अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्था, या संस्था का कोई डिप्लोमैटिक एजेन्ट तथा स्पेशल इकोनामिक जोन का विकासकर्ता व सह-विकासकर्ता।

4. प्रश्न टैक्स इनवाइस कितनी प्रतियों में जारी की जायेगी ?

   उत्तर टैक्स इनवाइस बाउंड बुक से तीन प्रतियों में जारी की जायेगी। यह प्रतियॉ मूल, डुप्लीकेट व कार्यालय प्रतियॉ होगी।

5. प्रश्न तीनों प्रतियों का प्रयोजन क्या होगा ?

   उत्तर विक्रेता द्वारा मूल व डुप्लीकेट प्रति क्रेता को दे दी जायेगी और कार्यालय प्रति अपने अभिलेख में बाउन्ड बुक में सुरक्षित रखी जायेगी। यदि बेचे गये माल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है तो डुप्लीकेट प्रति माल के साथ रहेंगी। मूल प्रति क्रेता द्वारा अपने अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी।

6. प्रश्न टैक्स इनवाइस को क्रमॉकित किस प्रकार किया जायेगा ?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये टैक्स इनवाइस का बुक नम्बर व सीरियल नम्बर(क्रम संख्या) 001 से प्रारम्भ कर अरोही क्रम में होगा और यह तीन प्रतियों में रखी जायेगी। एक बुक में 50 टैक्स इनवाइस होगी।

7. प्रश्न क्या टैक्स इनवाइस का प्रीअथेन्टिकेशन किया जायेगा ?

उत्तर हॉ, प्रत्येक टैक्स इन्वाइस व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में सूचना पंजीयन अधिकारी को दी जा चुकी हो, द्वारा प्रीअथेन्टिकेटेड होगी। यदि व्यापारी किसी व्यक्ति को अधिकृत नहीं करता है तो पंजीयन प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही अथन्टिकेट कर सकता है।

8. प्रश्न टैक्स इनवाइस कौन जारी करेगा ?

उत्तर पंजीकृत व्यापारी।

9. प्रश्न क्या टैक्स इनवाइस कम्प्यूटर द्वारा जारी की जा सकेगी ?

उत्तर हॉ।

10. प्रश्न टैक्स इन्वाइस में क्या क्या सूचना देनी होगी ?

उत्तर व्यापार कर की भॉति इनवाइस बनाया जायेगा जिनमें क्रेता/विक्रेता का टिन नम्बर, नाम व पता, माल का मूल्य व कर अलग लिखा जायेगा। इनवाइस प्रीअथेन्टिकेट होगा। विवरण नियम-43 में दिया गया है।

11. प्रश्न यदि क्रेता अपने से सम्बन्धित विवरण विक्रेता को नहीं देता है तो क्या होगा ?

उत्तर यदि कोई क्रेता किसी पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदता है तो धारा-22 (7) के अनुसार उसे अपना नाम, पता व टिन नम्बर विक्रेता को देना अनिवार्य है। उसके ऐसा न करने पर विक्रेता ऐसे क्रेता को टैक्स इन्वाइस जारी नहीं करेगा।

12. प्रश्न सेल इन्वाइस कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर सेल इन्वाइस दो प्रकार की होगी एक में टैक्स अलग से चार्ज करना आवश्यक होगा, दूसरे में कर अलग से चार्ज करना आवश्यक नहीं है।



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

13. प्रश्न सेल इन्वाइस में टैक्स कब अलग से चार्ज करना आवश्यक होगा ?

उत्तर जब कोई पंजीकृत व्यापारी, जिसका अधिनियम में करदायित्व है, नान वैटेएबुल माल की बिक्री करे और क्रेता से कर वसूले ।

14. प्रश्न इस सेल इन्वाइस में क्या क्या सूचनाएँ होगी ?

उत्तर यह सेल इन्वाइस आथेन्टिकेटेड होगी और शेष सूचनाएँ टैक्स इन्वाइस की ही भॉति होगी जिनका विवरण नियम-43(2) में किया गया है ।

15. प्रश्न सेल इन्वाइस में टैक्स किस दशा में अलग से चार्ज करना आवश्यक नहीं है ?

उत्तर जब कोई पंजीकृत व्यापारी वैटेबिल माल की बिक्री अपंजीकृत व्यापारी को करेगा।

16. प्रश्न इस सेल इन्वाइस में क्या सूचनाएँ होगी ?

उत्तर यह इन्वाइस अथेन्टिकेटेड होगी और इसमें क्रेता की टिन संख्या नहीं होगी शेष सूचनाएँ टैक्स इन्वाइस की भॉति होगी । विस्तृत विवरण नियम-43 (3) में दिया गया है ।

17. प्रश्न बिल व कैशमेमो कब जारी किया जायेगा ?

उत्तर प्रत्येक व्यापारी जिसका अधिनियम के अन्तर्गत करदायित्व है, प्रत्येक ऐसे माल की बिक्री पर जिसके सम्बन्ध में टैक्स इन्वाइस या सेल इन्वाइस जारी नही की जानी है, क्रेता को निर्धारित ढंग से बिल या कैशमेमो निम्न दशा में जारी करेगा :-

1-एक बिक्री के सम्व्यवहार की राशि रु0 250/-से अधिक है, या

2-क्रेता बिल या कैशमेमो की मॉग करता है, या

3-किसी अन्य कानून में बिल /कैशमेमो जारी करने का प्राविधान है, या

4-क्रेता अपने द्वारा की गयी बिक्री के सम्बन्ध में बिल/कैशमेमो ऐज ए प्रेक्टिस जारी करता है ।



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

18. प्रश्न क्या बिल/कैशमेमो के सम्बन्ध में अलग-अलग बुक रखी जायेगी ?

उत्तर हॉ, बिल बुक व कैशमेमो बुक अलग-अलग रखी जायेगी।

19. प्रश्न बिल के लिये अन्य क्या प्राविधान किये गये हैं ?

उत्तर टैक्स इन्वाइज, सेल इन्वाइस व बिल के लिये अन्य प्राविधान लगभग समान है अर्थात ये तीन प्रतियों में बाउण्ड बुक से जारी होगें, अच्छे कागज पर होगें और सुपाठय होगें।

20. प्रश्न कैशमेंमो कैसे जारी किया जायेगा ?

उत्तर कैशमेमो बाउण्ड बुक से दो प्रतियों में जारी किया जायेगा (मूल प्रति व कार्यालय प्रति)। मूल प्रति क्रेता को दी जायेगी। कार्यालय प्रति अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी किन्तु यदि बिल/कैशमेमो की एक ही बुक रखी गयी है कैशमेमों तीन प्रतियों में (औरिजनल, डुप्लीकेट व कार्यालय प्रति) जारी होगा।

21. प्रश्न परचेज इन्वाइस कब जारी करनी होगी ?

उत्तर पंजीकृत व्यापारी अपंजीकृत से करयोग्य माल की खरीद के लिये परचेज इन्वाइस जारी करेगा।

22. प्रश्न परचेज इन्वाइस कितनी प्रतियों में किस प्रकार जारी की जायेगी ?

उत्तर क्रेता व्यापारी परचेज इन्वाइस को दो प्रतियों (मूल व कार्यालय प्रति) में जारी करेगा और विक्रेता के हस्ताक्षर व निशानी अॅगूठा भी इस पर प्राप्त करेगा। मूल प्रति क्रेता को देगा और कार्यालय प्रति सुरक्षित रखेगा। यह परचेज इन्वाइस बाउण्ड बुक से जारी होगी।

23. प्रश्न परचेज इन्वाइस में क्या-क्या सूचनाएँ होगी ?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर परचेज इन्वाइस में क्रेता का नाम व पूरा पता, उसका टिन नम्बर, परचेजइन्वाइसबुक नम्बर, परचेज इन्वाइस सीरियल नम्बर, जारी करने की तिथि, विक्रेता का नाम व पूरा पता, माल का विवरण, माल की मात्रा, माल की क्रय कीमत, अन्य चार्जेज यदि कोई हों, परचेज इन्वाइस की कुल कीमत, अन्य विवरण जो क्रेता देना चाहे, होगें व विक्रेता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी लिया जायेगा।

24. प्रश्न टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइज बिल/ कैशमेमो व परचेज इन्वाइस पर क्या क्या सूचनाएँ प्रिन्टेड फार्म में होनी आवश्यक हैं ?

उत्तर टैक्स इन्वाइस, सेल इन्वाइस, बिल, कैशमेमो पर विक्रेता का नाम व पूरा पता, विक्रेंता के ब्रॉच व डिपो का नाम व पता जिससे माल बेचा जा रहा है, विक्रेता का टिन नम्बर, टैक्स इन्वाइज/ सेल इन्वाइज, बिल/ कैशमेमो की बुक संख्या तथा उनकी क्रम संख्या प्रिन्टेड फार्म में होगी। इसी प्रकार परचेज इन्वाइस पर क्रेता का नाम व पूरा पता, ब्रॉच व डिपो का नाम व पता जहॉ माल खरीदा जा रहा हो, क्रेता का टिन नम्बर, परचेज इन्वाइस बुक नम्बर तथा परचेज इन्वाइस सीरियल नम्बर प्रिन्टेड फार्म में होना आवश्यक है।

25. प्रश्न यदि कोई व्यापारी करयोग्य माल का निस्तारण/बिक्री एक से अधिक प्रकार से करता है तो उसे लेखे रखने में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी ?

उत्तर यदि कोई व्यापारी अपने माल की प्रान्तीय बिक्री, केन्द्रीय बिक्री प्रान्त के अन्दर या बाहर स्टाक ट्रान्सफर /कन्साइनमेन्ट ट्रान्सफर, निर्यात बिक्री में से एक से अधिक प्रकार से अपने माल का निस्तारण करता है तो वह प्रत्येक प्रकार के निस्तारण के सम्बन्ध में खरीद, प्राप्ति, डिस्पैच व बिक्री का यथासम्भव विवरण अलग-अलग लेखा रखेगा।

26. प्रश्न क्या भिन्न प्रकार के निस्तारण के सम्बन्ध में सेल इन्वाइस भी अलग-अलग रखी जायेगी?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर केन्द्रीय बिक्री के सम्बन्ध में सेल इन्वाइस पृथक इन्वाइस बुक से जारी किये जाने का प्राविधान नियम 43(16) में हैं।

27. प्रश्न इन्पुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में कौन सा रजिस्टर निर्धारित है?

उत्तर वैट अधिनियम की धारा-21(11) के अनुसार यदि कोई व्यापारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ चाहता है तो वह एक रजिस्टर में टैक्स पीरियडवाइज इन्पुट टैक्स क्रेडिट की गणना का विवरण रखेगा। इसका कोई प्रारुप निर्धारित नहीं है।

28. प्रश्न क्या कम्प्यूटर पर लेखा रखने वाले व्यापारी को हार्ड कापी भी रखना आवश्यक है ?

उत्तर हाँ, ऐसे व्यापारी को रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों, लेखो व डाक्यूमेन्टस का प्रिन्टआउट दैनिक रुप से निकाल कर रखना है।

29. प्रश्न यदि टैक्स इन्वाइसमें देयकर में से अधिक करचार्ज हो गया है तो क्या प्रक्रिया होगी या कम कर चार्ज हो गया है तो क्या प्रकिया होगी और कौन से डाक्यूमेन्टस रखने होगें ?

उत्तर अधिक कर चार्ज होने की दशा में विक्रेता व्यापारी क्रेता को तीस दिन के भीतर एक क्रेडिट नोट व क्रेता, विक्रेता को डेविट नोट जारी करेगा और कम कर चार्ज होने की दशा में विक्रेत, क्रेता को डेविट नोट और क्रेता, विक्रेता को क्रेडिट नोट जारी करेगा।

30. प्रश्न माल वापसी या रिजेक्शन की दशा में क्या अभिलेख रखने होगें ?

उत्तर बिके माल की वापसी की दशा में विक्रेता, क्रेता को क्रेडिट नोट व क्रेता, विक्रेता को डेविट नोट जारी करेगा।

31. प्रश्न यदि माल एक कर निर्धारण वर्ष में बिका है और वापसी अगले कर निर्धारण वर्ष में हुई है तो क्रेडिट / डेविट नोट का समायोजन किस प्रकार होगा ?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर यदि वापसी या रिजेक्शन बिक्री के 6 माह की अवधि के भीतर है तो क्रेडिट/ डेविट नोट का समायोजन उस वर्ष होगा जिस वर्ष माल वापस हुआ हैं।

32. प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्राविधान कहॉं है ?

उत्तर ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्राविधान वैट अधिनियम की धारा-21 की उपधारा-4 में किया गया है।

33. प्रश्न क्या प्रत्येक बिक्री के बाद परिवहन हेतु ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग होना है ?

उत्तर नहीं। ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग शासन द्वारा विनिर्दिष्ट माल की निश्चित मूल्य /मात्रा में की गयी बिक्री के फलस्वरुप अथवा बिना बिक्री हुये अन्यथा परिवहन के लिये किया जाना है।

34. प्रश्न व्यापारी को ट्रान्सपोर्ट मेमो कहॉं से प्राप्त होगा ?

उत्तर व्यापारी को ट्रान्सपोर्ट मेमो कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त होगा।

35. प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मेमो प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर ट्रान्सपोर्ट मेमो प्राप्त करने हेतु व्यापारी पॉच रुपया प्रति मेमो की दर से शुल्क जमा करके उसके प्रमाण के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा जिस पर विचारोपरान्त कर निर्धारण अधिकारी उसे ट्रान्सपोर्ट मेमो जारी करेगा। प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा भी व्यापारी को रखना होगा और प्रार्थना पत्र देते समय पूर्व में प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो में से प्रयुक्त व अवशेष बचे ट्रान्सपोर्ट मेमो का विवरण कर निर्धारण अधिकारी को देना होगा।

36. प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मेमो का क्या प्रारुप होगा ?

उत्तर ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रारुप फार्म-XXI (नियम-40 में) में दिया गया है।

37. प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मेमो का प्रयोग किस प्रकार करना होगा ?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर जब कोई पंजीकृत व्यापारी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट माल विज्ञापित मात्रा/मूल्य से अधिक मात्रा /मूल्य में बिक्री के फलस्वरुप अथवा अन्यथा डिलीवर या कन्साइन करेगा तो प्रपत्र XXI के सभी कालम भरते हुये उसकी मूल प्रति उस व्यक्ति को देगा जिसे माल परिवहन हेतु भेजा गया है।

38. प्रश्न क्या परिवहन कर्ता के पास मूल प्रति परिवहन के दौरान होना जरुरी है ?

उत्तर हॉ।

39. प्रश्न क्या ट्रान्सपोर्टर को भी ट्रान्सपोर्ट मेमो पर कुछ विवरण भरना है ?

उत्तर हॉ।परिवहन कर्ता ट्रान्सपोर्ट मेमो पर अपने से सम्बन्धित विवरण भरेगा और उसे कन्साइनी /क्रेता को डिलीवरी के समय देगा।

40. प्रश्न क्या क्रेता या कन्साइनी को यह फार्म सुरक्षित रखना है ?

उत्तर हॉ, यह फार्म जब भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मॉगा जायेगा क्रेता/कन्साइनी को प्रस्तुत करना होगा और कर निर्धारण की कार्यवाही समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

41. प्रश्न क्या फार्म-XXI की कोई प्रति कन्साइनर/विक्रेता द्वारा भी रखी जानी है ?

उत्तर हॉ। मूल प्रति फाड़कर परिवहनकर्ता को देने के बाद अवशेष भाग उसे सुरक्षित रखना है।

42. प्रश्न ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा कैसे रखा जायेगा ?

उत्तर ट्रान्सपोर्ट मेमो का लेखा फार्म-XXII रखा जायेगा।

43. प्रश्न कार्यालय से प्राप्त ट्रान्सपोर्ट मेमो कब तक प्रयोग किये जा सकते हैं ?

उत्तर जब तक किसी सीरीज, रंग या डिजाइन के ट्रान्सपोर्ट मेमो कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश द्वारा निष्प्रयोज्य न घोषित कर दिये जाये।



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

44. प्रश्न निष्प्रयोज्य घोषित हुये फार्म का व्यापारी क्या करेगा ?

उत्तर ऐसे फार्म व्यापारी अविलम्ब कार्यालय वापस कर देगें।

45. प्रश्न चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस सम्बन्धी प्राविधान कहॉ है ?

उत्तर वैट अधिनियम की धारा-21 की उपधारा-5व नियम-41 में।

46. प्रश्न चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस कब जारी करनी होगी व किस वस्तु के लिये ?

उत्तर उस माल को छोडकर जिसके सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्ट मेमो जारी होने का प्राविधान है, हर व्यापारी, जिसका करदायित्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जब कोई करयोग्य माल बिक्री के उपरान्त या अन्यथा किसी अन्य व्यापारी को कन्साइन या डिलीवर करेगा तो क्रेंता /कन्साइनी को सुपाठय चालान /ट्रान्सफर इन्वाइस जारी करेगा।

47. प्रश्न ट्रान्सफर इन्वाइस/चालान में कौन-कौन सी सूचनाऍ होगी ?

उत्तर ट्रान्सफर इन्वाइज/चालान में नियम-41(1) में प्राविधानित 15 सूचनाऍ होगी। इन सूचनाओं में से व्यापारी का नाम व पता, ब्रॉच का नाम व पता, कन्साइनर का टिन नम्बर, चालान/ट्रान्सफर इन्वाइस का बुक नम्बर तथा सीरियल नम्बर छपी होनी आवश्यक है।

48. प्रश्न चालान / ट्रान्सफर इन्वाइस को जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर चालान/ट्रान्सफर इन्वाइस मूल, द्वितीय व तृतीय अर्थात तीन प्रतियों में जारी होगी जो टैक्स इन्वाइस की भॉति प्रीअथेन्टिकेटेड होगी और प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये बुक नम्बर/ सीरियल नम्बर 001 से प्रारम्भ होकर अरोही क्रम में चलेगा और एक बुक में 50 चालान होगें।

49. प्रश्न ट्रान्सफर इन्वाइज/चालान का प्रयोग किस प्रकार होगा ?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर मूल एंव व्दितीय प्रति परिवहन कर्ता अथवा कन्साइनी को दी जायेगी और इसमें सूचनाएँ पूरी तरह भरी होगी । परिवहन कर्ता द्वारा जो सूचनाएँ भरी जानी है वह भी भरी जायेगी और माल गन्तव्य स्थल पर पहुँच जाने पर यह प्रतियॉं कन्साइनी को दे दी जायेगी । कन्साइनी द्वितीय प्रति कन्साइनर को वापस करेगा।

50. प्रश्न क्या ट्रान्सफार इन्वाइस/चालान कम्प्यूटर से भी बनायी जा सकती है ?

उत्तर हॉं।

51. प्रश्न कम्प्यूटर से जारी होने की दशा में क्या हार्ड कापी रखनी आवश्यक होगी ?

उत्तर हॉं। दैनिक रुप से जारी होने वाले ट्रान्सफर इन्वाइस/चालान की हार्ड कापी अभिलेख में रखनी आवश्यक है।

52. प्रश्न क्या वैट अधिनियम/वैट नियमावली में ट्रान्सपोटर, कैरियर, फारवर्डिंग एजेण्ट वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा अभिलेख रखने का प्राविधान किया गया है ?

उत्तर हॉं । वैट नियमावली के नियम-38 उपनियम-8 में यह प्राविधान है।

53. प्रश्न ट्रान्सपोटर तथा कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, वेयरहाउस के मालिक को क्या क्या अभिलेख रखने हैं ?

उत्तर नियम-38(8) के प्राविधानों के अनुसार ट्रान्सपोर्टर को निम्न अभिलेख रखने होंगें :-

1-परिवहन या स्टोर हेतु प्राप्त समस्त माल के विवरण का रजिस्टर।

2-परिवहन या स्टोर हेतु प्राप्त समस्त माल के लिये जारी कन्साइनमेन्ट नोट की प्रति।

3-ड्राइवर अथवा वाहन प्रभारी को दिये जाने वाले माल के परिवहन के चालान की कार्यालय प्रति।

4-माल की प्राप्ति व डिलीवरी का रजिस्टर।

54. प्रश्न उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रान्सपोर्टर को और क्या करना है?



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर जब माल परिवहन के लिये बुक कर रहे तो बुक कराने वाले व्यक्ति से घोषणा प्रपत्र XVIII में एंव माल की डिलीवरी के समय डिलीवरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति से फार्म-XVII में ट्रान्सपोर्टर को घोषणा पत्र लेना होगा।

55. प्रश्न ट्रान्सपोर्टर के द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित रखने की समय सीमा क्या है ?

उत्तर कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 8 वर्ष तक।

56. प्रश्न यदि ट्रान्सपोर्टर, ट्रान्सपोर्ट मेमो का नीचे का कालम नहीं भरता तो क्या वह दण्ड का भागी होगा। यदि हॉ तो कितना ?

उत्तर हाँ, रुपया पांच हजार, वैट अधिनियम की धारा-54(1)(20) के अन्तर्गत।

57. प्रश्न क्या एकाउन्ट आडिट कराना आवश्यक है ?

उत्तर हॉ।

58. प्रश्न क्या एकाउन्ट आडिट न कराने पर दण्ड लगेगा ?

उत्तर हॉ।

59. प्रश्न एकाउन्ट आडिट न कराने पर कितना दण्ड लगेगा ?

उत्तर रुपया दस हजार तक।

60. प्रश्न आडिट किससे कराया जायेगा ?

उत्तर चार्टेड एकाउन्टेन्ट या कास्ट एकाउन्टेन्ट से।

***



Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com